न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प सिरोही
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 03/2017

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
1. पीराराम पुत्र हीराराम		1. थानाराम पुत्र सादलाजी
2. धनाराम पुत्र हीराराम		2. नगाराम पुत्र सादलाजी
3. झुमी बेवा हीराराम जातिगण रेबारी निवासीगण डिंगार तहसील पिण्ड़वाड़ा जिला सिरोही		3. नीबाराम पुत्र सादलाजी
		4. परबी पुत्री सादलाजी
		5. हरू पुत्री सादलाजी
		6. कोनकी पुत्री सादलाजी
		7. सोपु पत्नी मोतीजी
		8. वीरकाराम पुत्र गोवाजी
		9. सुरताराम पुत्र गोवाजी
		10. टीपूदेवी पत्नी गोवाजी
		11. पेपीदेवी पुत्री गोवाजी
		12. सजी उर्फ हली पुत्री गोवाजी जातिगण राईका निवासीगण डिंगार तहसील पिण्डवाड़ा
		13. विक्रमसिंह पुत्र भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी तेलपुर तहसील पिण्डवाड़ा
		14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पिण्डवाड़ा
		15. लसाराम पुत्र उमाजी
		16. सोनाराम पुत्र उमाजी
		17. तोलाराम पुत्र मुपाजी
		18. रमेश पुत्र भानाजी जातिगण मेघवाल निवासीगण डिंगार तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :

श्री प्रमोद कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स

श्री दिनेशसिंह, विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 28.9.18

———0———

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध प्रस्तुत कर न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 2138/2016 पीराराम वगैरा बनाम थानाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 13.02.2017 को अपास्त कराने का निवेदन किया। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम डिंगार तहसील पिण्डवाडा के खसरा नम्बर 124 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के उत्तर दिशा में करीब एक बीघा भूमि पर मेघवाल समाज के व्यक्तियों के पक्के मकान बने हुए है एवं शेष भूमि पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जिस भूमि पर मेघवाल समाज के व्यक्तियों का कब्जा है, वह भूमि अपीलाण्ट द्वारा ही उन्हे प्रदान की गई है, जिसके बदले में मेघवाल समाज के व्यक्तियों द्वारा अपीलाण्ट को अन्य स्थान पर भूमि दी गई है, जिस पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा त्रुटीवश उक्त आराजी अपीलाण्ट के नाम दर्ज न कर रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था, जबकि वर्तमान में भी उक्त आराजी पर अपीलाण्ट ही काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 12 ने राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटी से उनका नाम दर्ज होने का नाजायज लाभ प्राप्त करने की मंशा से उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को बेचान कर दी है। इसकी जानकारी अपीलाण्ट को होने पर अपीलाण्ट द्वारा तहसीलदार के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से मौका रिपोर्ट तलब की, जिसमें पटवारी हल्का ने मौके पर अपीलाण्ट का कब्जा काश्त होना माना है। रेस्पोडेन्ट संख्या 13 उक्त बेचान दस्तावेज के आधार पर अपीलाण्ट को जैर अपील विवादित आराजी से बेदखल करने पर आमादा होने के कारण अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व रेकर्ड में हुई त्रुटी को सुधार करते हुए विवादित आराजी के खातेदारी अधिकार अपीलाण्ट के पक्ष में घोषित कराने का निवेदन किया तथा वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्ट को जैर अपील विवादित आारजी के राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाऐ रखने हेतु आदेशित कराने का निवेदन किया। इस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्यों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध है। विवादित आराजी पर अपीलाण्ट काबिज काश्त है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो आदेश पारित किया है, उससे मौके पर विवाद की संभावना उत्पन्न हो चुकी है, जिसे रोका जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है। अतः अपील स्वीकार करावें एवं जैर अपील आदेश को अपास्त कराते हुए मूल वाद के निस्तारण तक रेस्पोडेन्ट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर अपील विवादित आराजी में रेस्पोडेन्ट का भी हक हिस्सा निहित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 12 ने अपने हिस्से की भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 13 के पक्ष में किया है तथा मौके पर कब्जा सुपुर्द किया है। जिसका रेस्पोडेन्ट संख्या 1से 12 को सम्पूर्ण हक अधिकार था। वर्तमान में जैर अपील विवादित आराजी पर रेस्पोडेन्ट संख्या 13 काबिज है। जहां तक भूमि के विनिमय का प्रश्न है, तो ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध ही नहीं है, जो इस तथ्य की ताईद करता हो कि भूमि का विनिमय हुआ हो। उक्त भूमि पूर्व में अपीलाण्ट की खातेदारी की रही हो, ऐसा भी कोई दस्तावेती साक्ष्य अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। मात्र कयासी आधारों पर अपीलाण्ट द्वारा जैर अपील प्रार्थना पत्र एवं अपील प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य है। अतः अपील खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलाण्ट द्वारा अपील में वर्णित आधारों पर ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। ग्राम डिंगार के खसरा नम्बर 124 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा की भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073 के खाता संख्या 42 के अनुसार थाना, मोती, नगा, नीबा पि0 सादला, परबी, हरू, कोनकी पुत्री सादला 1/2, पीराराम, धनाराम पि0 हीरा, झुमी पत्नी हीरा 1/4, गोवा वल्द हीरा 1/4 कौम रेबारी सा0 देह खातेदार दर्ज है। इनमें से मोती पुत्र सादला फौत होने पर उसके स्थान पर सोपू पत्नी मोती, आशाराम, लकमाराम, केवाराम पि0 मोती, लसी पुत्री मोती समस्त नाबालिग की वली माता सोपू पत्नी मोती का नाम दर्ज किया गया है। इससे यह तथ्य निर्विवादित है कि जैर अपील विवादित आराजी में अपीलाण्ट का 1/4 हिस्सा तथा शेष 3/4 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 12 का है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 12 द्वारा अपने हक हिस्से की भूमि का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 13 के पक्ष में किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 13 को विवादित आराजी में प्रवेश से रोकने का अनुतोष चाहा है। विधि अनुसार एह सह खातेदार द्वारा भूमि विक्रय करने पर क्रेता उसी स्थान पर काबिज होगा, जिस पर विक्रेता काबिज था। इस प्रकार एक सह खातेदार को उसके हिस्से की भूमि के बेचान हस्तान्तरण से रोकना विधि सम्मत नहीं है। हालांकि यह मूल वाद में साक्ष्यों से तय होगा कि जैर अपील विवादित आराजी पूर्व से ही अपीलाण्ट की ही रही है अथवा नहीं ? एवं जिस विनिमय का अपीलाण्ट द्वारा कथन किया गया है, वह वास्तविक स्थिति में अस्तित्व में रहा भी अथवा नहीं ? किन्तु हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई ठोस कारण प्रतीत नहीं होता है, जिससे अपीलाण्ट किसी प्रकार की राहत प्राप्त करने के अधिकारी हो। उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) पिण्डवाड़ा द्वारा राजस्व विविध प्रकरण संख्या 2138/2016 पीराराम वगैरा बनाम थानाराम वगैरा में पारित आदेश दिनांक 13.02.2017 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही

निर्णय आज दिनांक 28.9.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-सिरोही